7/रा० प०/दि० 1/04/2014

संख्या- 470 /XVIII(I)/2014-03(2)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2014

विषय :- राज्य में नियमित पुलिस की भांति राजस्व पुलिस कर्मियों को एक माह के वेतन के बराबर मानदेय की संशोधित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-134(1)/18(1)/2014-03(02)/2014 दिनांक 08 फरवरी, 2014 द्वारा उत्तराखण्ड राजस्व पुलिस में नियुक्त राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय), राजस्व उप-निरीक्षक(पटवारी) एवं राजस्व सेवक जिनको द्वितीय शनिवार, रविवार व राजकीय अवकाश में भी साधारणतया कार्य करना पड़ता है एवं आवश्यकता पड़ने पर भू-लेख कार्यों के अतिरिक्त राजस्व पुलिस कार्यों के लिए उक्त कार्मिक 24 घण्टे की सेवा हेतु उपलब्ध रहते हैं, को उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानेदय दिये जाने का निर्णय लिया गया।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में आंशिक संशोधन कर अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-00-आयोजनेत्तर-103-भू-अभिलेख-03-जिला अधिष्ठान-07-मानेदय के स्थान पर अनुदान संख्या-06लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-00-आयोजनेत्तर-103-भू-अभिलेख-03-जिला अधिष्ठान के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा, किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08 फरवरी, 2014 की अन्य शर्तें तथा उपबन्ध यथावत रहेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या-344NP/XXVII(5)/2013-2014 दिनांक 28 मार्च, 2014 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या- /XVIII(I)/2014 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन.आइ.सी., उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव